R 4582-III/13

# *समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म.प्र.)*

प्र. क. .................

1. गोविन्दसिंह

2.अगरसिंह पुत्रगण श्री गजराजसिंह रावत निवासी ग्राम नरौआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.। — आवेदकगण

विरूद्व

मातादीन पुत्र ब्रन्दा खंगार निवासी ग्राम नरौआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश। — अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 19.11.13 प्र क 01/13–14/स्व.निगरानी पारित द्वारा कलेक्टर शिवपुरी म.प्र.।

महोदय,

जानिव आवेदकगण निगरानी निम्न प्रस्तुत है:–

## *संक्षिप्त तथ्य*

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण सदर में ग्राम नरौआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे नं. 705,706,707,708 व 711 रकवा कमशः 0.55,0.20, 0.20,0.62 व 0.07 कुल रकवा 1.64 है0 जिसका पुराना सर्वे नं 207/1 है,निहित है। अनावेदक द्वारा विचारण न्याय में तहसील नरवर जिला शिवपुरी के उभय पक्षीय आदेश प्रकरण कमांक 51 /95–96/अ–6 आदेश दिनांक 07.05.1996 के विरूद्व निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निगरानी कर्ता निगरानी सदर के द्वारा तामील पर दिनांक 17.09.13 को प्राथमिक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करते हुए निम्न अधिकारिता विषयक आपत्तियां ली गई–



30-12-2013

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4582–तीन/2013 जिला–शिवपुरी

गोविन्द सिंह व अन्य विरूद्ध मातादीन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17–06–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्र. क्र. 01/2013–14/स्व–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 06–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(आर0के0 जैन) 17/6/19<br>सदस्य | |